## न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी, जिला—अशोकनगर (म.प्र.)

<u>दांडिक प्रकरण कं.-361/14</u> <u>संस्थापित दिनांक-24.06.2014</u> Filling no-RCT/300742/2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। अभियोजन
विरुद्ध
1— खुशीलाल पुत्र बंशीलाल उम्र 35 साल
2— पुष्पेन्द्र पुत्र पन्नीलाल कुशवाह उम्र 20 साल
3— अरविन्द पुत्र पन्नीलाल कुशवाह उम्र 24 साल
4— बेटीबाई पत्नी खुशीलाल कुशवाह उम्र 30 साल निवासीगण:— ग्राम प्राणपुर चंदेरी अशोकनगर म0प्र0
अभियुक्तगण

## -: <u>निर्णय</u> :--

## (आज दिनांक 15.09.2017 को घोषित)

01— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 341, 323/34, 324/34(2-शीर्ष), 506 बी भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 22.05. 2014 को समय करीब दिन के 2 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम प्राणपुर में फरियादिया के खेत पर फरियादिया बबीता को सार्वजनिक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं फरियादिया का रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया तथा आहत को अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में आपने या आप में से किसी ने आहत रामप्रसाद की लात—घूसो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा आहत को अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में आपने या आप में से किसी ने आहत बबीता और पुष्पाबाई को असन या भेदन उपकरण जैसे फटा हुआ डण्डा से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादी बबीता को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी, आहतगण एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक 10.08.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपी खुशीलाल, पुष्पेन्द्र,

अरविन्द, बेटीबाई को भा.द.वि की धारा 294, 341, 323/34, 506 बी के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा यह निर्णय भा0द0वि0 की धारा 324/34(2—शीर्ष) के संबंध में किया जा रहा है।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी बबीता ने मय उसकी मां पूष्पाबाई के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 22.05.2014 को दोपहर करीब 2 बजे उसके खेत में लगे नीबू के पेड से बेटीबाई नीबू के फल वीन रही थी, तब उसने कहा कि नीबू के फल मत वीनो तो बेटीबाई बोली की शामिलाती पेड है वह तो तोडेगी यही बातचीत हो रही थी, इतने में खुशीलाल, अरविन्द, पुष्पेन्द्र तीनो आए और आते ही उसे मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगे, गालियो की आवाज सुनकर उसकी मां पुष्पाबाई व पिता रामप्रसाद आ गये, उन्होंने कहा कि लडकी को गालियां क्यों दे रहे हो, तभी खुशीलाल ने डण्डा उठाया और मार दिया जो रामप्रसाद के सिर में दो-तीन जगह लगकर खून निकल आया, पुष्पेन्द्र ने डण्डे मारे दोनो हाथो में मुंदी चोटे लगी, बेटीबाई ने मुंह पर थप्पड मार दिये, बबीता को उसकी मां पुष्पाबाई पिता रामप्रसाद बचाने आए थे तो उनकी मारपीट चारो आरोपीगण ने डण्डो से कर दी। मां पुष्पाबाई के सिर में, दोनो पैरो में चोट लगी है। जब बबीता अपने घर आने लगी तो चारो आरोपीगण ने रास्ता रोककर कहा कि अब अगर नीबू वीनने से मना किया तो जान से मार देगे। घटना कोमल व हरदास ने देखी है। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफतार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेत् विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 22.05.2014 को समय करीब दिन के 2 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम प्राणपुर में फरियादिया के खेत पर आहत बबीता और पुष्पाबाई को अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में आपने या आप में से किसी ने आहत बबीता और पुष्पाबाई को असन या भेदन उपकरण जैसे फटा हुआ डण्डा से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

## : : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी बबीता अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना करीब 2 साल पूर्व की होकर दिन के 12—1 बजे की है। उसके बड़े ताउ जगन्नाथ का नीबू का बगीचा है जो शामिल खाते का है जिसमें कोई हिस्सेदारी नहीं हुई है, बेटीबाई और खुशीलाल नीबू तोड़ रहे थे। उक्त साक्षी ने नीबू तोड़ने से मना किया तो चारो आरोपीगण एवं सुकनबाई ने उसके साथ मारपीट की, आरोपीगण लट्ठ लिये हुए थे। उक्त साक्षी का कहना है कि उसे अरविन्द, पुष्पेन्द्र व खुशीलाल ने लाठी से मारा था, जिससे उसके सिर एवं कंघे में चोट आई थी, इसके अलावा उसकी मां पुष्पाबाई की भी आरोपीगण ने पत्थर व लाठियों से मारपीट की थी जिससे पुष्पाबाई के पैर व सिर में जगह—जगह चोटे आई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके पिता घटना के समय दुसरे खेत पर थे और मौके पर बाद में आए थे। घटना स्थल पर कोमल व अन्य लोग मौजूद थे जिन्होने घाटना देखी है।

07— बबीता अ0सा01 ने बताया कि वह घटना के संबंध में चंदेरी रिपोर्ट करने आई थी जो प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है और रिपोर्ट लिखाने के बाद सरकारी अस्पताल में इलाज के लिये गई थी। प्र.पी.2 के नक्शामौका की लिखा पढी थाने पर हुई थी जहां उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपीगण उसके परिवार के है और उनसे जमीन संबंधी विवाद चल रहा है।

08— पुष्पाबाई अ0सा02 ने फरियादी बबीता बाई के कथनो का समर्थन किया और बताया कि उसकी लड़की बबीता की नीबू तोड़ने से मना करने पर आरोपीगण ने मारपीट कर दी थी जिससे बबीता के सिर, पैर तथा हाथ में चोट आई थी। जब पुष्पाबाई बचाने आई थी तब उसके साथ भी आरोपीगण ने मारपीट कर दी थी। उक्त साक्षी ने बताया कि उसे पुष्पेन्द्र व बेटीबाई ने मारा था, बेटी बाई ने पत्थर उठाकर मारे थे। रिपोर्ट कराने के दुसरे दिन अशोकनगर इलाज के लिये गये थे, चंदेरी अस्पताल मे सिर में टांके लगाये थे और पैर की चोट का एक्सरे अशोकनगर में हुआ था और पैर में फेक्चर आया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में बताया कि रामप्रसाद ने लड़ाई की आवाज सुनी तो वो घटना स्थल पर पहूँचे और उन्होंने बीच बचाव नहीं किया वे छूप गये थे। उक्त साक्षी ने बताया कि उसके पित रामप्रसाद घटना शांत होने के बाद आए थे। हरदास अ0सा06 ने बताया कि घटना के समय वह उसके घर के दरबाजे पर बैठा था, अरिवन्द व पुष्पेन्द्र ने रामप्रसाद की पत्नी व बेटी को लाठियों से मारा था, जिनके नाम उसे नहीं पता। उक्त साक्षी ने बताया कि इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है।

09— रामप्रसाद अ0सा03 ने उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 2 में बताया कि अरविन्द ने उसे हाथ में लाठी मारी तो वह भाग कर संतोष के घर चला गया था, जबकि प्रकरण की फरियादिया बबीता एवं आहत पृष्पाबाई जोकि साक्षी रामप्रसाद की पुत्री एवं पत्नी है ने बताया कि रामप्रसाद घटना के समय घटना स्थल पर मोजूद नहीं था बल्कि झगडा शांत होने के बाद आया था। इस प्रकार रामप्रसाद की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। इसके अलावा रामप्रसाद ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि झगडा जिस नीबू के पेड और जमीनी विवाद पर से हुआ वह आरोपीगण और उनकी सामिलाती भूमि है।

- 10— जुगराज सिंह अ०सा०५ ने उसके कथनों में बताया कि गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 6, 7, 8 एवं जप्ती पंचनामा 9, 10, 11 के ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है, किन्तु उक्त हस्ताक्षर उसने किस बात के किये थे इस बात की जानकारी न होना व्यक्त किया और उसके समक्ष आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं जप्ती किये जाने के तथ्य से स्पष्तः इंकार किया, इसके अलावा कोमल अ०सा०७, पन्नीलाल अ०सा०८ ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है जिससे अभियोजन को उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 11— डॉ. एस.पी. सिद्धार्थ अ०सा०४ ने बताया कि उनके द्वारा दिनांक 22.05.14 को आहत पुष्पाबाई, बबीता बाई एवं रामप्रसाद का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें आहत पुष्पाबाई एवं बबीता को सिर में कटा घाव होने के साथ अन्य चोटे होने का उल्लेख किया है। जबकि रामप्रसाद को छिला एवं नीलगू निशान होने का उल्लेख है। उक्त साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया कि आहतगणो को उसकी मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी. 3, 4, 5 में आई चोटे मोटरसाईकिल से तेजी से फिसलकर बलपूर्वक गिरने से आना संभव है, किन्तु बचाव पक्ष की ओर से इस प्रकार का सुझाब किसी भी आहत के संबंध में नहीं किये गये है।
- 12— अभिलेख के अवलोकन एवं उपरोक्तानुसार विशलेषण के आधार पर घटना के संबंध में बबीता अ०सा०1, पुष्पा अ०सा०2 के कथन प्रतिपरीक्षण में सारतः अखण्डनीय रहे है और उक्त साक्षीगण के कथनो का समर्थन रामप्रसाद अ०सा०3, हरप्रसाद अ०सा०6 की अखण्डनीय साक्ष्य से भी होता है और घटना के संबंध में बबीता के कथनो समपुष्टि सुसंगत, अविलम्ब प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 से भी होती है। बबीता, पुष्पाबाई को घटना दिनांक को चोट आने संबंधी कथनों को समर्थन डाँ० एस. पी.सिद्धार्थ अ०सा०4 के कथनों से भी होता है। अभिलेख पर आहत साक्षीगण के कथनों में उन पर अविश्वास किये जाने हेतु किसी भी प्रकार का बड़े विरोधाभास अथवा लोप नहीं है।
- 13— उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा फरियादी बबीता एवं पुष्पा को लाठियों द्वारा मारकर उपहित कारित किया जाना दर्शित होता है। जहाँ तक अभियुक्तगण द्वारा असन भेदन के उपकरण जैसे फटा हुआ डण्डा से मारे जाने का प्रश्न है, इस संबंध में स्वयं बबीता अ0सा01 एवं पुष्पा अ0सा02 द्वारा लाठियों से एवं पत्थर से उन्हें चोट आना व्यक्त किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी01 में भी फरियादी द्वारा लाठियों से मारे

जाने से चोट आना व्यक्त किया गया है। हालांकि चिकित्सकीय साक्षी डाँ० एस.पी. सिद्धार्थ अ०सा०4 द्वारा फरियादी बबीता एवं पुष्पा दोनों को चोट क० 1 धारदार वस्तु से आना प्रतीत होना व्यक्त किया गया है, परंतु स्वयं फरियादी बबीता एवं आहत पुष्पा की प्रत्यक्ष साक्ष्य के आलोक में धारदार वस्तु से चोट आना नहीं पाया जाता है एवं विवेचना अधिकारी आर.एस.पाल अ०सा०९ ने भी प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपीगण से कोई धारदार वस्तु उसके द्वारा जप्त नहीं की गई है।

- 14— उपरोक्त समस्त विवेचना से हालांकि यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्तगण असन या भेदन के उपकरण जैसे फटा हुआ डण्डा द्वारा मारकर उपहित कारित की, परंतु यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा लाठियों एवं पत्थर से मारकर फरियादी बबीता एवं आहत पुष्पा को उपहित कारित की गई।
- 15— जहाँ तक अभियुक्तगण द्वारा फरियादी एवं आहत को स्वेच्छ्या उपहित कारित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्तगण उनके द्वारा किये जा रहे कृत्य को करते समय उसके परिणाम एवं प्रभाव को जानते थे। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार अथवा गंभीर प्रकोपन के कारण आहत को उपहित कारित किया जाना दर्शित नहीं है। जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय का निर्माण कर उसके अग्रसरण में फरियादी एवं आहत की मारपीट कर उपहित किये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी बबीता एवं पुष्पाबाई द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मिलकर उसके साथ मारपीट किया जाना व्यक्त किया है तथा सामान्य आशय का निर्माण घटना स्थल पर भी किया जा सकता है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी बबीता एवं आहत पुष्पाबाई को सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छ्या उपहित कारित की गई। परंतु यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त स्वेच्छ्या उपहित असन या भेदन उपकरण जैसे फटा उण्डा से कारित की गई।
- 16— अतः उपरोक्त समस्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी बबीता एवं आहत पुष्पाबाई को सामान्य आशय के अग्रसरण में असन या भेदन उपकरण जैसे फटा हुआ डण्डा से मारकर स्वेच्छ्या उपहित कारित की, परंतु पूर्व विवेचना से यह प्रमाणित पाया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी बबीता एवं आहत पुष्पाबाई को लाठियों एवं पत्थर से मारकर स्वेच्छ्या उपहित कारित की गयी।
- 17— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324/34 के संबंध में भी आरोप विरचित किये गये है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324/34 भा.दं.सं. के संबंध में अपराध प्रमाणित न होकर धारा 323/34 भा.दं.सं. के संबंध में अपराध प्रमाणित होना दर्शित है। धारा

324 / 34 भा.दं.सं. धारा 323 / 34 भा.दं.सं. से अधिक कारावास से दण्डनीय होकर गुरूत्तर अपराध है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323 / 34 के संबंध में आरोप विरचित किया गया था, किन्तु फरियादी, आहत एवं आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपीगण को धारा 323/34 भा0द0वि0 के अपराध से पूर्व में दोषमुक्त किया जा चुका है। अब प्रश्न यह है कि फरियादी एवं आहतगण द्वारा पूर्व में किये गये शमनिय प्रकृति के अपराध में राजीनामा किये जाने से तथा वर्तमान में भी शमनिय अपराध अर्थात धारा 323/34 का जो अपराध आरोपीगण के विरूद्ध प्रमाणित हुआ है उक्त अपराध में क्या आरोपीगण दोषमुक्ति के पात्र है ? चुंकि फरियादी एवं आहतगण ने अभियुक्तगण से भा0द0वि0 की धारा 323 / 34 के अधिन दण्डनीय अपराध का समन कर लिया है और अभियुक्तगण के विरूद्ध जो अपराध प्रमाणित हुआ है वह भी इसी धारा के अधीन दण्डनीय है। माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत गोपाल तिवारी वि० म०प्र० राज्य, 1999 सी.आर.एल.जे 3417 म0प्र0 में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी अशमनिय अपराध के आरोप का विचारण होता हो और अंत में दोषसिद्ध अपराध शमनिय प्रकृति का पाया जाए और पक्षकारो ने अपराध समन कर लिया हो तो, ऐसी स्थिति में शमनिय अपराध के आरोप में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता और वे दोषमुक्ति के पात्र होगे।

- 18— उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण एवं उक्त न्याय दृष्टांत के के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 22.05.2014 को समय करीब दिन के 2 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम प्राणपुर में फरियादिया के खेत पर आहत बबीता और पुष्पाबाई को अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण में से किसी ने आहत बबीता और पुष्पाबाई को असन या भेदन उपकरण जैसे फटा हुआ डण्डा से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की। अतः आरोपी 1— खुशीलाल पुत्र बंशीलाल उम्र 35 साल, 2— पुष्पेन्द्र पुत्र पन्नीलाल कुशवाह उम्र 20 साल, 3— अरविन्द पुत्र पन्नीलाल कुशवाह उम्र 24 साल, 4— बेटीबाई पत्नी खुशीलाल कुशवाह उम्र 30 साल निवासीगणः— ग्राम प्राणपुर चंदेरी अशोकनगर मठप्र० के विरूद्ध धारा 324/34(2—शीर्ष) भाठद०वि० का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और प्रमाणित अपराध धारा 323/34 का पूर्व में राजीनामा किये जाने से उक्त आरोप से भी दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।
- 19— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 20— प्रकरण में जप्तशुदा एक लाठी बांस की, एक डण्डा बांस का फटा हुआ, एक डण्डा बांस का मूल्यहीन होने अपील अविध पश्चात नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

21- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0